न्यायालय जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

रेफरेंस प्रार्थना पत्र :– 11/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) बाप		1. जीयाराम पुत्र अजीताराम भील सा. बारू

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 02/12/2025

1. रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत की गई।

2. रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि ग्राम खेतुसर की भू. प्रबंध विभाग की खतौनी बंदोबस्त के खाता सं. 18 अनुसार खसरा संख्या 31 रकबा 330.14 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में जीवा वल्द अजीत कौम भील सा बारू पसायतेदार दर्ज रेकर्ड था। ग्राम खेतुसर की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के खसरा संख्या 31 रकबा 53.5371 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में जीयाराम पुत्र अजीताराम हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. देह खातेदार दर्ज रेकर्ड है। सरपंच ग्राम पंचायत धोलिया, ग्राम पंचायत धोलिया के मौजीज व्यक्तियों, पटवारी देदासरी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक टेपू के रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि ग्राम खेतुसर की जमाबंदी खसरा संख्या 31 में दर्ज नाम जीयाराम पुत्र अजीताराम जाति भील नाम का कोई भी व्यक्ति कभी भी ग्राम खेतुसर में निवास नहीं करता था एवं जीयाराम पुत्र अजीताराम जाति भील नाम का कोई भी व्यक्ति वर्तमान में भी ग्राम खेतुसर में निवास नहीं करता है। तहसील कार्यालय शेखासर में उपलब्ध पुरानी गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर के खसरा संख्या 31 में संवत 2016–2019 में उक्त खसरे में कोई काश्त नहीं थी। पुरानी गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर के खसरा संख्या 31 में संवत 2032–2035 व संवत 2036–2039 में उक्त खसरे में कोई काश्त नहीं थी। गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर के खसरा संख्या 31 में संवत 2037–20280 तक भी कोई काश्त दर्ज नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत धोलिया, ग्राम पंचायत धोलिय के मौजीज व्यक्तियों, पटवारी देदासरी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक टेपू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेतुसर की

जमाबंदी खसरा संख्या 31 में दर्ज नाम जीयाराम पुत्र अजीताराम जाति भील नाम का कोई व्यक्ति कभी भी ग्राम खेतुसर में निवास नहीं करता था। एवं जीयाराम पुत्र अजीताराम जाति भील नाम का कोई भी व्यक्ति वर्तमान में भी ग्राम खेतुसर में निवास नहीं करता है। उक्त प्रविष्टि बोगस है। रेफरेन्स न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने पर ग्राम खेतुसर की जमाबंदी खसरा संख्या 31 में दर्ज उक्त बोगस प्रविष्टि को विलोपित की जाकर वारिसान के अभाव में उक्त भूमि को राजगामी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

3. तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंन्स प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। तहसीलदार बाप द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि अप्रार्थी जीयाराम पुत्र अजीताराम नाम का व्यक्ति ग्राम धौलिया में निवास करता है। न ही मतदाता सूची में पिछले पचास वर्षो से ऐसा कोई नाम दर्ज नहीं है। तहसीलदार बाप द्वारा ग्राम पंचायत धोलिया के सरपंच परमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण खीवसिंह पुत्र हमीरसिंह, अपरबलसिंह पुत्र चुतरसिंह, शैतानसिंह पुत्र आमसिंह ने जरिये अधिविक्ता श्री रेवन्तसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली को वास्ते प्रार्थना बहस में रखा गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे उक्त आराजी में हित शामिल हो। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 को बहस पश्चात खारिज किया गया। तद्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. तहसीलदार बाप ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खेतुसर की भू. प्रबंध विभाग की खतौनी बंदोबस्त के खाता सं. 18 अनुसार खसरा संख्या 31 रकबा 330.14 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में जीवा वल्द अजीत कौम भील सा बारू पसायतेदार दर्ज रेकर्ड था। ग्राम खेतुसर की वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी के खसरा संख्या 31 रकबा 53. 5371 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में जीयाराम पुत्र अजीताराम हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. देह खातेदार दर्ज रेकर्ड है। तहसील कार्यालय शेखासर में उपलब्ध पुरानी गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर के खसरा संख्या 31 में संवत 2016–2019 में उक्त खसरे में कोई काश्त नहीं थी। पुरानी गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर के खसरा संख्या 31 में संवत 2032–2035 व संवत 2036–2039 में उक्त खसरे में कोई काश्त नहीं थी। गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर के खसरा संख्या 31 में संवत 2037–20280 तक भी कोई काश्त दर्ज नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत धोलिया, ग्राम पंचायत धोलिय के मौजीज व्यक्तियों, पटवारी देदासरी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक टेपू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेतुसर की जमाबंदी खसरा संख्या 31 में दर्ज नाम जीयाराम पुत्र अजीताराम जाति भील नाम का कोई व्यक्ति कभी भी ग्राम खेतुसर में निवास

नहीं करता था। एवं जीयाराम पुत्र अजीताराम जाति भील नाम का कोई भी व्यक्ति वर्तमान में भी ग्राम खेतुसर में निवास नहीं करता है। उक्त प्रविष्टि बोगस है। रेफरेन्स न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने पर ग्राम खेतुसर की जमाबंदी खसरा संख्या 31 में दर्ज उक्त बोगस प्रविष्टि को विलोपित की जाकर वारिसान के अभाव में उक्त भूमि को राजगामी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

5. हमने पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार मनन किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र , सरपंच ग्राम पंचायत धोलिया, ग्राम पंचायत धोलिया के मौजिज व्यक्तियों , पटवारी देदासरी एवं भू. अभिलेख निरीक्षक टेपू की रिपोर्ट एवं उपतहसील कार्यालय शेखासर में उपलब्ध पुरानी गिरदावरी रेकर्ड अनुसार ग्राम खेतुसर की जमाबंदी खसरा संख्या 31 में दर्ज नाम जीयाराम पुत्र अजीताराम, जाति भील की प्रविष्टि बोगस प्रकट होती है।

आदेश

सरकार जरिये तहसीलदार बाप का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता हैं कि ग्राम खेतुसर की जमाबंदी खसरा संख्या 31 रकबा 53.5317 हैक्टयर भूमि की बोगस प्रविष्टि को विलोपित की जाकर वारिसान के अभाव में उक्त भूमि को राजगामी करने की कार्यवाही किये जाने की राय के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाता है। पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ......02/12/2025.... को सरे इजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी